

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 921/2022
अनवान : -

1. रतिराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
2. कलावती पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पार्वती पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. कुलदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
5. कुलवीरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
6. जगतारसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
7. जगेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
8. जरनैलसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
9. बलवीरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
10. भूपिन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
11. मनीराम पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
12. मुरलीधर पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
13. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
14. लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
15. वचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
16. शंकरलाल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
17. सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
18. सतनामसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
19. सन्तोखसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
20. हनुमान पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
23. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा तहसील नोहर।
24. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
25. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर।
26. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 13/06/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स० 382/364 की कुल 19.9490 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता था। खाता लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा कास्त एवं जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 382/364 की कुल 19.9490 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 21 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी बहस में जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के आधार पर खाता व लगान अलग अलग किये जाने का निवेदन किया। परोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 382/364 की कुल 19.9490 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 382/364 की कुल 19.9490 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. रतिराम पुत्र हेमाराम कौम जाट सा0 देह खाते रहन 1/2 हिस्सा एसबीआई गोरखाना ख0न0 201 रकबा 8.982 हैक्ट, ख0न0 1174 में से 0.088 हैक्ट (उत्तरी पासा) कुल 9.070 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मनीराम, मुरलीधन, शंकरलाल, हनुमान पि0 भागीरथ कौम ब्राहमण सा0 देह खातेदार रहन मनीराम हनुमान हि0 पीएनबी बैंक मंदरपुरा, शंकरलाल का हि0 एचडीएफसी बैंक रावतसर, मुरलीधर का हिस्सा बीओबी बैंक शाखा नोहर ख0न0 418/0.354 हैक्ट, 479/0.304 हैक्ट, 480/1.872 हैक्ट, 1159/0.253 हैक्ट, 1160/0.126 हैक्ट, 1161/0.101 हैक्ट, 1173 में से 0.050 हैक्ट(उत्तरी पासा), 1174 मे से 0.039 हैक्ट (दक्षिणी पासा) कुल 3.099 हैक्ट बारानी प्रथम
3. कुलवीरसिंह, जगतार सिंह, बलबीरसिंह, सन्तोख सिंह पि0 दलीप सिंह बहिब 2/5 हिस्सा,

महेन्द्र सिंह, जगेन्द्र सिंह पि० हजारासिंह बहिब 1/5 हिस्सा, लिखमेन्द्र सिंह पुत्र पूर्णसिंह 1/10 हि०, सतनाम सिंह पुत्र हजारासिंह 1/10 हिस्सा, अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह, विचित्र सिंह, हरदीप सिंह पि० नरेन्द्र सिंह बहिब 1/10 हिस्सा, कौम कमोसिख सा० सन्धोला तह० केथल, जरनैल सिंह, भूपिन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह पि० मिलखासिंह बहिब 1/10 हिस्सा कौम कमोसिख सा० माजरा तह० फतेहाबाद खातेदार
ख०न० 26 रकबा 3.479 हैक्ट बारानी प्रथम

4. कलावती पत्नी कृष्ण 1/2 हि., पार्वती पत्नी जोराराम 1/2 हिस्सा कौम जाट सा० देह खातेदार रहन कैनरा बैंक रावतसर
ख०न० 1172/0.354 हैक्ट, 1182/0.670 हैक्ट, 1173 में से 3.277 हैक्ट दक्षिण पासा
कुल 4.301 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 921/2022

अनवान : -

1. रतिराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
2. कलावती पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पार्वती पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. कुलदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
5. कुलवीरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
6. जगतारसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
7. जगेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
8. जरनैलसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
9. बलवीरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
10. भूपिन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
11. मनीराम पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
12. मुरलीधर पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
13. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
14. लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
15. वचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
16. शंकरलाल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
17. सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
18. सतनामसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
19. सन्तोखसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
20. हनुमान पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति कमोसिख साकिन सन्धोला तहसील केथल।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
23. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा तहसील नोहर।
24. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
25. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर।
26. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 921 सन 2022 निर्णय दिनांक -13/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स० 382/364 की कुल 19.9490 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. रतिराम पुत्र हेमाराम कौम जाट सा० देह खाते रहन 1/2 हिस्सा एसबीआई गोरखाना ख०न० 201 रकबा 8.982 हैक्ट, ख०न० 1174 में से 0.088 हैक्ट (उत्तरी पासा) कुल 9.070 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मनीराम, मुरलीधन, शंकरलाल, हनुमान पि० भागीरथ कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहन मनीराम हनुमान हि० पीएनबी बैंक मंदरपुरा, शंकरलाल का हि० एचडीएफसी बैंक रावतसर, मुरलीधर का हिस्सा बीओबी बैंक शाखा नोहर ख०न० 418/0.354 हैक्ट, 479/0.304 हैक्ट, 480/1.872 हैक्ट, 1159/0.253 हैक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1160/0.126 हैक्ट, 1161/0.101 हैक्ट, 1173 में से 0.050 हैक्ट(उत्तरी पासा), 1174 में से 0.039 हैक्ट (दक्षिणी पासा) कुल 3.099 हैक्ट बारानी प्रथम

3. कुलवीरसिंह, जगतार सिंह, बलबीरसिंह, सन्तोख सिंह पि० दलीप सिंह बहिब 2/5 हिस्सा, महेन्द्र सिंह, जगेन्द्र सिंह पि० हजारासिंह बहिब 1/5 हिस्सा, लिखमेन्द्र सिंह पुत्र पूर्णसिंह 1/10 हि०, सतनाम सिंह पुत्र हजारासिंह 1/10 हिस्सा, अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह, विचित्र सिंह, हरदीप सिंह पि० नरेन्द्र सिंह बहिब 1/10 हिस्सा, कौम कमोसिख सा० सन्धोला तह० केथल, जरनैल सिंह, भूपिन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह पि० मिलखासिंह बहिब 1/10 हिस्सा कौम कमोसिख सा० माजरा तह० फतेहाबाद खातेदार ख०न० 26 रकबा 3.479 हैक्ट बारानी प्रथम

4. कलावती पत्नी कृष्ण 1/2 हि., पार्वती पत्नी जोराराम 1/2 हिस्सा कौम जाट सा० देह खातेदार रहन कैनरा बैंक रावतसर

ख०न० 1172/0.354 हैक्ट, 1182/0.670 हैक्ट, 1173 में से 3.277 हैक्ट दक्षिण पासा कुल 4.301 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर नोहर
नोहर